in the augmentation of demand and consequently production.

Development of land by the DDA

*296. SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is a backlog in the development of land by the D.D.A.;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether D.D.A. propose to involve private builder construction firms on their behalf to clear the backlog which had been piling for the last several years;

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) and (b) There is not much of a backlong in the development of land by the DDA.

(c) DDA has no proposal to engage private builders or construction firms to clear the backlog

(d) Does not arise.

Report of the D'Souza Committee

*297. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the D'Souza Committee, constituted in 1974 has given its report to boost the house construction activities in Delhi; and

(b) if so, what action Government have taken on the recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) There was no Committee constituted in 1974 under Shri D'Souza to go into the question of housing construction activities in Delhi.

(b) The question does not arise.

Central assistance for flood-effected States

*298. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what is the number of States affected by floods in the year 1985-86; and

(b) what is the amount given by the Central Government as relief to the States?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) 22 States have been affected by floods in the year 1985-86.

(b) A ceiling of Central assistance amounting to Rs. 502.81 crores has been sanctioned so far, as flood relief during the year 985-86.

Plinth area of flats in category II in Vasant Kunj

*299. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 2819 given in the Rajya Sabha on the 24th August, 1984 and state:

(a) whether Government have received representations to the effect that the plinth area of category II flats under the Self-Financing Scheme in Vasant Kunj, a D.D.A. colony has not been increased from 80 sq. mts. to 90 sq. mts. and later on to 101.10 sq. mts. as reported by the Delhi Development Authority;

(b) whether Government had made any enquiry into the matter through an independent agency to verify the veracity of the statement of the D.D.A.; and

(c) if so, what are the details thereof and whether any action has been taken against the concerned officials in case their statement has not been found correct?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

*300. **श्री रामचन्द्र विकल:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जायेगी;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986 में कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ग) इस योजना में सुधार लाने हेतु प्रशासनिक मशीनरी को और मजबूत बनाने और योजना को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में क्या कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 20 मिलियन परिवारों का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें छठी योजना के वे पुराने परिवार भी शामिल हैं जिन्हें पूरक सहायता दिये जाने की जरूरत है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के लिए कुल 407.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय अंश 205.93 करोड़ रुपये का है ।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को अधिक कारगर बनाने के लिए जो विभिन्न कदम उठाये गये हैं, उनका ब्यौरा मेज-पटल पर रखा गया है (**विवरण-I**) (नीचे देखिये)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशासकीय ढांचे की जांच करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई थी । इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है ।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदम:-

1. गरीबी की रेखा 6,400 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय पर निर्धारित की गई है ।

2. लाभार्थियों के चयन के अंतिम सीमा को बढ़ाकर प्रति परिवार वार्षिक आय 4,800 रुपये निर्धारित कर दी गई है । तथापि, 3500 रुपये तक की आय वाले सभी परिवारों को इससे अधिक आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना है ।

3. प्रति परिवार अधिक पूंजी निवेश देना जिसमें एक से अधिक योजनाएं शामिल हों ताकि नए लाभार्थियों को उनके निवेशों पर उचित लाभ मिल सके ।

4. छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो उन कारणों से गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके हैं जिनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं ।

5. निधियों का आवंटन समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता में विविधता के आधार पर किया जाना है ।

6. लाभार्थियों के चयन में जन प्रतिनिधियों को और अधिक शामिल करना ।

7. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसायटियों की स्थापना करके सम्पर्कों को सुधारने के प्रयास करना ।